न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 10/2022

1 बजरंगलाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 18.01.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम बजरंगलाल मु.नं. 366/2021 दावा/प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 366/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में जमीन हाल खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.20 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम हांसलसर तहत तहसील गुढ़ा गोड़जी में स्थित है। उक्त जमीन का खातेदार अपीलान्ट है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांकित 28.12.2021 के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा/प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2021 को पेश किया। जिस दावा/प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.01.2022 को स्वीकार कर आलौच्य निर्णय पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजुदा प्रकरण में पटवारी हल्का हांसलसर ने दिनांक 28.12.2021 को इस प्रकार की रिपोर्ट बनाई की जमीन खसरा नम्बर 1080 व 1030 ग्राम हांसलसर की कृषि भूमि पर 'अकृषि कार्य करने की सूचना मिली जिसकी मौका जांच

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हेतु मौके पर पहुंचा। उक्त खसरा नम्बर बजरंगलाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी हांसलसर की खातेदारी में दर्ज है उक्त खसरा नम्बर की जमीन पर बिना सक्षम अधिकारी से भूमि किस्म परिवर्तन करवाये उक्त खातेदार द्वारा ईंट निकालने का कार्य किया जाता है एवं धर्मकांटा चलाया जा रहा है जो चनाना बड़ागांव के मध्य से 2.3.5 की दुरी पर स्थित है तथा एक दुकान संचालित है जो रोड़ के मध्य से 13 मीटर की दुरी पर स्थित है जो नियमानुसार अवैध है। अतः सम्बन्धित खातेदार के विरूद्ध धारा 177 की कार्यवाही किया जाना उचित है। मौजुदा प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक ईंट निकालना, धर्मकांटा चलाना व दुकान निर्मित करना आदि कृषि भूमि के बिना संपरिवर्तन करवाये वाणिज्यक प्रयोजनार्थ काम में लेना माना जायेगा जिस कृत्य के विरूद्ध धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान वहां लागु होते हैं जहां कोई व्यक्ति/खातेदार जमीन के बिना संपरिवर्तन के कृषि भूमि को प्लाटिंग के जरिये छोटे छोटे भुखण्डों में विक्रय किया जाता है। इस प्रकार मौजुदा प्रकरण में आलौच्य निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण खारीज होने योग्य है। धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1955 के तहत कार्यवाही का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित तहसीलदार को है। पटवारी हल्का ने जो मौका रिपोर्ट बनाई उसमें खसरा नम्बर 1080 व 1030 में ईंट निकालना बताया है जबकि मौके पर ईंट भट्टा नहीं बताया जबकि अपीलान्ट के पास की दुसरी जमीन में विधिवत संपरिवर्तित ईंट भट्टा है जिसकी ही जमीन में ईंट निकाली जा रही थी जबकि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की जमीन में ईंट निकालना गलत दर्शित किया है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भूमिधारी सम्बन्धित न्यायालय में वाद पत्र (**Suit**) पेश करता है ना कि प्रार्थना (**Application**) पेश करता है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही में आदेश 07 नियम 01 सीपीसी के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मुताबिक वाद पत्र (Suit) के प्रावधान लागु होते है। वाद पत्र दो प्रतियों में पेश किया जाता है। वाद पत्र को तस्दीक किया जाता है। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया जाता है। दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात (विवाद बिन्दु) तय किये जाते है तथा प्रत्येक तनकी के समर्थन में वादी व प्रतिवादी की सशपथपूर्वक साक्ष्य दर्ज की जाती है। वादी व प्रतिवादी दोनों को गवाहान से जिरह का अवसर मिलता है तथा बाद में दोनों पक्षों की कानूनी बहस सुनकर न्यायिक निर्णय पारित किया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेगुलर वाद पत्र की बजाय प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही होती है। सदभाविक व्यक्ति को समरी कार्यवाही के माध्यम से बेदखल नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को बाद रेगुलर कार्यवाही एवं शपथपूर्वक साक्ष्य के बाद ही बेदखल किया जा सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही कानून के खिलाफ अवैध रूप से की गई है एवं बाईपास कार्यवाही की गई है। जो अवैध होने से शुन्य कार्यवाही है। विचारण न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कार्यवाही में आदेश 7 नियम 1 जा.दी. के प्रावधानों के तहत कार्यवाही नहीं हुई। अपीलांट के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समख आलौच्य कार्यवाही 'आशय पूर्वक' की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2022 को आलौच्य प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध दायर किया गया है सिर्फ 5 दिन बाद दिनांक 04.01.2022 को तारीख पेशी नियत की गई है। दिनांक 04.01.2022 से अपीलान्ट को जवाब देही के लिये दिनांक 11.01. 2022 को पेशी दी गई है। दिनांक 11.01.2022 को अपीलान्ट जवाब पेश करता है तथा दिनांक 11.01.2022 को आदेशिका में बहस श्रवण किया जाना लिखा है तथा दिनांक 13.01.2022 को पीठासनी अधिकारी राजकार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 18.01.2022 को आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार विचारण ने सिर्फ 20 दिन में एक सदभाविक खातेदार को उसकी खातेदारी की जमीन से बेदखल किये जाने एवं खातेदारी अधिकार समाप्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

किये जाने के आदेश अवैध आशयपूर्वक प्रक्रिया अपनाकर पारित किये है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली मे तहसीलदार गुढ़ागौड़जी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हांसलसर के विवादित भूमि खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.95 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 बारानी 2 बारानी 3 व खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 में ईंट भट्टा है। अपीलांट द्वारा सड़क के पास अवैध रूप से इट्टे निकाली जा रही है व धर्मकांटा व दुकान संचालित है। अपीलांट ने उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नूकसान कारित किया है व राज्य सरकार व अपीलांट के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा को खातेदार ने भंग किया है। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाने के कारण उक्त भूमि से अपीलांट की खातेदारी समाप्त कर, भूमि का सिवायचक (राजकीय भूमि) घोषित कर विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोन से स्पष्ट है धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भूमिधारी सम्बन्धित न्यायालय में वाद पत्र (**Suit**) पेश करता है ना कि प्रार्थना (**Application**) पेश करता है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही में आदेश 07 नियम 01 सीपीसी के मुताबिक वाद पत्र (**Suit**) के प्रावधान लागु होते है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2022 को विचाराधीन प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध दायर किया गया है सिर्फ 5 दिन बाद दिनांक 04.01.2022 को तारीख पेशी नियत की गई है। दिनांक 04.01.2022 से अपीलान्ट को जवाब देही के लिये दिनांक 11.01.2022 को पेशी दी गई है। दिनांक 11.01.2022 को

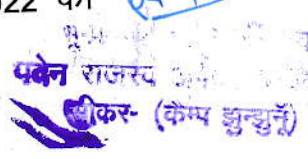

अपीलान्ट जवाब पेश करता है तथा दिनांक 11.01.2022 को आदेशिका में बहस श्रवण किया जाना लिखा है तथा दिनांक 13.01.2022 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 18.01.2022 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार विचारण ने सिर्फ 20 दिन में एक सदभाविक खातेदार को उसकी खातेदारी की जमीन से बेदखल किये जाने एवं खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर